रूप क्रमांक 2

(देखिये नियम 7)

मध्य प्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

क्रमांक 05/49/01/13643/17

यह प्रमाणित किया जाता है कि E COAL SHIKSHA SAMITI,समिति जो 40 OLD DAV CAMPUSCOLONY,MASJID GALI,BEHIND WAIDHAN COURT DISTT SINGRAULI MP तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली में स्थित है, मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 14 अप्रैल 2017 को पंजीयित की गई है।

Digitally Signed By Ajay Kumar Khare
(Personal)
Date : 14-Apr-2017 13:42:02 IST

दिनांक 14 अप्रैल 2017

समितियों के रजिस्ट्रार

इकोल शिक्षा समिति

अध्यक्ष

Note : This is a Digitally Signed document On 14/04/2017 01:39 PM

ई कोल शिक्षा समिति

40 OLD DAV CAMPUS COLONY, MASJID GALI BEHIND, WAIDHAN MOB. NO. 7610313116

प्रारूप - साथ

नियम देखिए 11

मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम) 1973क्र (1973 सन 44की धारा के अधीन शासी निकाय सूचि की जानकारी प्रस्तुत करने के 27 । लिये प्रपत्र

1सोसायटी का नाम और पूरा पता ; E-COAL SIKSHA SAMITI

.2पंजीयन क्रमांक तथा तारीख : री - सं.13643 दिनाक -14.04201.7

.3 साधारण निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख : 15/01/2019

.4विधमान पदाधिकारियों की सूची कार्यकाल तारीख : : 01/01/2020 से तारीख 31/12/2023 तक

अनु क्र	नाम ,पिता /पति का नाम	पता	पारित पद	मुख्य व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	जम्मू बेग	39 DAV ROAD WAIDHAN MASJID GALI WAIDHAN SINGRAULI MADHYA PRADESH	अध्यक्ष	BUSINESSMAN	
2	अब्दुल मजीद बेग	WARD NO 31 MAIN ROAD WAIDHAN NEAR RAJ KAMAL HOTEL WAIDHAN SINGRAULI (M.P)	उपाध्यक्ष	BUSINESSMAN	
3	मो० कादिर खान	WARD 38 JAMUA ROAD NEAR PUMP HOUSE WAIDHAN SINGRAULI (M.P)	सचिव	BUSINESSMAN	
4	मुबारक हुसैन	WARD -39 BALIYARI ROAD WAIDHAN SINGHRAULI (M.P.)	कोषध्यक्ष	BUSINESSMAN	
5	शाहनवाज अहमद	MG 131 NAVJIWAN BIHAR VINDHYA NAGAR SINGRAULI (M.P)	सयुक्तसचिव	SERVICES	
6	मोहम्मद साबिर	WARD NO 40 TAKIZ ROAD WAIDHAN SINGRAULI (M.P)	सदस्य	BUSINESSMAN	
7	मोहम्मद सईद	WARD -39 WAIDHAN BEHIND JKAMAL HOTEL WAIDHAN SINGRAULI (M.P)	सदस्य	SERVICES	

5. म.प्र. सोसिएटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 27 के अधीन 4000 रु. की वार्षिक फ़ीस चालान क्र14752414 तरीक 12/12/2019 द्वारा जमा करा दी गयी है , उसकी मूल प्रति सल्गन है

// घोषणा//

मै जमू बेग पिता सफी उल्लाह बेग आयु लगभग 49 वर्ष एक प्रधिकृत अधिकारी के रूप में एतद द्वारा घोषणा करता हु की उपर्युक्त जानकारी सोसाइटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेस्त्तम जानकारी के अनुसार सत्य है सोसाइटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकरता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य मैं है । मै यह जनता हुं कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मै उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन दण्ड का दायी रहूँगा ।

इकोल शिक्षा समिति
अध्यक्ष

President
E-COAL INTERNATIONAL SCHOOL
Waidhan, Distt. Singrauli (M.P.) 486886
हस्ताक्षर
नाम - जमू बेग (अध्यक्ष)

S744

नियमावली

आवेदन क्रमांक : S7440304160120032017	अनुमोदन दिनाँक : 25 Mar 2017

1. सोसायटी का नाम E COAL SHIKSHA SAMITI होगा।

2. सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक 40 OLD DAV CAMPUSCOLONY,MASJID GALI,BEHIND WAIDHAN COURT DISTT SINGRAULI MP 486886 तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित होगा।

3. संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा।

4. 3. सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगेः-

1 The child should learn the first language the mother-tongue to a level where he can communicate his ideas easily.

2 The child should develop ability in four fundamental numerical operations and to be able to apply these to solve problems in his daily life.

3 The child should learn the method of inquiry in science and should begin to appreciate science and technology.

4 To establish, manage,maintain and run educational,vocational and technical institutions in India.

5 To provide other allied educational activity and organised promotional event related to the education.

6 To encourage the students to take active part in educational system for social administration and economic development of the country.

7 To support and take necessary action to imparting education to weaker and needy section of the society of free of cost or at normal fee.

5. सोसाइटी के सदस्य निम्नलिखित प्रवर्गो के होंगेः-

(अ) संरक्षक सदस्यः वह व्यक्ति जो रूपये 1000/- या अधिक एकमुश्त दान करता है या एक साल के भीतर बारह किश्तों में भुगतान करता है, सोसाइटी का संरक्षक सदस्य होगा।

(ब) आजीवन सदस्यः वह व्यक्ति जो रूपए 500/- या अधिक का भुगतान करता है, सोसाइटी का आजीवन सदस्य होगा।

(स) साधारण सदस्यः वह व्यक्ति जो रुपए 10/- प्रतिमाह या रुपए 120/- प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी कालावधि के लिए सदस्य होगा, जिसके कि लिए वह अंशदान करेगा।

(द) अवैतनिक सदस्यः सोसाइटी की प्रबंधकारिणी समिति, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को मानसेवी सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य वार्षिक साधारण सम्मिलन में भाग से सकते हैं, परंतु वे मत देने के हकदार नहीं होंगे।

6. सदस्यता की प्राप्ति-प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

7. सदस्यों की योग्यता- संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक हैः-

इकोल शिक्षा समिति

1 आयु 18 वर्ष से कम न हो।

2. भारतीय नागरिक हो।
3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो।
4.सद्चरित्र हो तथा मधपान न करता हो |

8. **सदस्यता की समाप्ति-** संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगीः-
1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल हो जाने पर।
3. संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर।
4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।
5. चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।

9. **संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज किये जावेंगेः-**
1.प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर
2.वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया व रसीद नंबर।
3.वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।

10. **(अ) साधारण सभा-** साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेंगी, परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी | उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।

(ब)प्रबंधकारिणी सभा- प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक का कोरम 1/2 सदस्यों की होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी।

(स) विशेष- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाए विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. **साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्यः-**
(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
(ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
(ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्त करना।
(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।

इकोल शिक्षा समिति
अध्यक्ष

(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।
(छ) बजट का अनुमोदन करना।

12. **प्रबंधकारिणी का गठन-** नियम 5 ((अ), (ब), (स)) में दर्शाए गए सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।
(1)अध्यक्ष -1,(2)उपाध्यक्ष -1,(3)सचिव -1,(4)कोषाध्यक्ष -1,(5)संयुक्त सचिव -1,(6)सदस्य -2

13. **प्रबंध समिति का कार्यकाल-** प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किंतु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. **प्रबंधककारिणी के अधिकार व कर्तव्य-**
(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।
(ब) पिछले वर्ष का आय व्यय लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।
(स) समिति एवं उनके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना, संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।
(द) कर्मचारियों,शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।
(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए।
(च) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।
(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आंतरित नहीं की जाऐगी।

15. **अध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में समान मत होने पर निर्णयात्मक होगा।

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

17. सचिव, एक समय में रु. 5000/- तक की राशि मंजूर करने हेतु प्राधिकृत होगा।

18. **संयुक्त सचिव के अधिकार-** सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा

19. **कोषाध्यक्ष के अधिकार-** समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

20. **बैंक खाता-** सोसाइटी की निधियां अधिसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में जमा की जावेगी। निधियों का आहरण अध्यक्ष/सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा। प्रतिदिन के व्यय के लिए कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रु. 5000/- रहेंगे।

21. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी-** अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 के दि[illegible]ुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप पर

...कोल शिक्षा समिति

	कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत विहित शुल्क के साथ संस्था एवं संचालित समस्त ईकाइयो को परीक्षित लेखा भेजेगी।
22.	संशोधन- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/ 3 मतों से पारित होगा, यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा, जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।
23.	विघटन- संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/ 5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
24.	सम्पत्ति- संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी।
25.	पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना- संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निष्चित कर सकेगा।
26.	विवाद- संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निष्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

हस्ताक्षर
अध्यक्ष

हस्ताक्षर
सचिव

हस्ताक्षर
कोषाध्यक्ष

इकोल शिक्षा समिति
अध्यक्ष

L-R (1) SHAHNAWAZ AHMED (2) KADIR KHAN (3) JAMMU BEG (4) ABDUL MAJEED BEG (5) MOHD SABIR (6) MOHD SAID (7) MUBARAK HUSAIN

इकोल शिक्षा समिति

अध्यक्ष